



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0/सा0प्र0/ 10307/2026

दिनांक: 08 अगस्त, 2026

अति आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

01 निदेशक शैक्षणिक,
विश्वविद्यालय परिसर।

02 प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं द्वारा शासनादेशों में निर्धारित निर्देशों का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया के पत्र संख्या: C-671/स0क0/छात्र0/शासनादेश/2026-27, दिनांक: 22 जुलाई, 2026 (संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शिक्षण संस्थाओं के लिए निर्धारित प्रवाधानों का समयबद्ध अनुपालन एवं चौदह बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

तत्कम में समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को यह भी सूचित किया जाता है कि पत्र में उल्लेखित समस्त बिन्दुओं पर ससमय कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं पत्र में उल्लेखित बिन्दु संख्या 01, 03, 11 एवं 13 से सम्बन्धित सूचनाओं को दिनांक: 14 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

संलग्नक: यथोक्त।


(डॉ० छबिलाल)
नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति पोर्टल


(एस० एल० पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. माननीय कुलपति जी।
02. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
03. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
04. सम्बन्धित पत्रावली।


कुलसचिव



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

क्र. स.	बिन्दु संख्या	विवरण	कार्यवाही
01	01.	संस्था एवं संस्था में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता, स्वीकृत सीटों की संख्या, पाठ्यक्रमवार सक्षम स्तर से अनुमोदित शुल्क तथा अन्य आवश्यक विवरण छात्रवृत्ति पोर्टल के मास्टर डाटाबेस में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सही-सही अंकित एवं अद्यतन किए जाएं।	संस्था एवं संस्था में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता, स्वीकृत सीटों की संख्या, पाठ्यक्रमवार सक्षम स्तर से अनुमोदित शुल्क तथा अन्य आवश्यक विवरण छात्रवृत्ति पोर्टल के मास्टर डाटाबेस में सही-सही अंकित करने के उपरान्त छात्रवृत्ति पोर्टल से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं पाठ्यक्रमों की मान्यता/सम्बद्धता की छायाप्रति विश्वविद्यालय को दिनांक: 14 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
02	03.	विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन-पत्रों तथा संलग्न अभिलेखों का मूल अभिलेखों से मिलान करने हेतु संस्था स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाए। संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य अध्यक्ष संस्था के वरिष्ठतम प्राध्यापक सदस्य समस्त सम्बन्धित वर्ग का वरिष्ठतम प्राध्यापक सदस्य	विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन-पत्रों तथा संलग्न अभिलेखों का मूल अभिलेखों से मिलान करने हेतु संस्था स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित कर सूचना संलग्न प्रारूप 'क' पर भर विश्वविद्यालय को दिनांक: 14 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
03	11.	संस्था द्वारा आवेदन-पत्रों, संलग्न अभिलेखों, मास्टर डाटा, ऑनलाइन अग्रसारण विवरण, छात्रवृत्ति न मिलने के कारणों, अंक एवं सेमेस्टर विवरण तथा भुगतान के उपरान्त लाभान्वित विद्यार्थियों के विवरण की हस्ताक्षरित सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी सुरक्षित रखी जाए। शासनादेश के अनुसार सम्बन्धित अभिलेखों को 10 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना है।	संस्था द्वारा आवेदन-पत्रों, संलग्न अभिलेखों, मास्टर डाटा, ऑनलाइन अग्रसारण विवरण, छात्रवृत्ति न मिलने के कारणों, अंक एवं सेमेस्टर विवरण तथा भुगतान के उपरान्त लाभान्वित विद्यार्थियों के विवरण की हस्ताक्षरित सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी सुरक्षित रखी जाए। शासनादेश के अनुसार सम्बन्धित अभिलेखों को 10 वर्ष तक सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
04	13.	संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेख, त्रुटि सुधार, आधार प्रमाणीकरण, बैंक खाते की स्थिति, समय सारिणी एवं उपस्थिति सम्बन्धी नियमों की जानकारी नोटिस बोर्ड, वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों से उपलब्ध कराई जाए।	संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेख, त्रुटि सुधार, आधार प्रमाणीकरण, बैंक खाते की स्थिति, समय सारिणी एवं उपस्थिति सम्बन्धी नियमों की जानकारी नोटिस बोर्ड, वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों से उपलब्ध कराए एवं इससे सम्बन्धित कार्यवाही/फोटों/स्क्रीनशॉट की छायाप्रति विश्वविद्यालय को दिनांक: 14 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नोट: समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना ससमय विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही, महाविद्यालय द्वारा लॉक पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता, स्वीकृत सीटों की संख्या, पाठ्यक्रमवार सक्षम स्तर से अनुमोदित शुल्क तथा अन्य आवश्यक विवरण छात्रवृत्ति पोर्टल के मास्टर डाटा को अग्रसारित किया जायेगा। अन्यथा की दशा में समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।

(डॉ० छबिलाल)
नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति पोर्टल

(एस० एल० पाल)
कुलसचिव

पता:-शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला-बलिया, उ०प्र० पिन कोड:-277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

महाविद्याल के लेटर हेड पर

प्रारूप 'क'

विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन-पत्रों तथा संलग्न अभिलेखों का मूल अभिलेखों से मिलान करने हेतु संस्था स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की गई है:-

क्र. स.	विवरण	पद	सदस्य का नाम	सदस्य का मो० नं०
01.	संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्राधानाचार्य	अध्यक्ष		
02.	संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक	सदस्य		
03.	संस्था के वरिष्ठतम् अनु०जाति के प्राध्यापक	सदस्य		
04.	संस्था के वरिष्ठतम् सामान्य जाति के प्राध्यापक	सदस्य		
05.	संस्था के वरिष्ठतम् पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक	सदस्य		
06.	संस्था के वरिष्ठतम् अल्पसंख्यक वर्ग के प्राध्यापक	सदस्य		

हस्ताक्षर एवं महा०वि० का मोहर

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया

पत्रांक- (671 / स0क0 / छात्र0 / शासनादेश / 2026-27 दिनांक- 22-7-2026

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, दशमोत्तर शिक्षण संस्थान,

जनपद-बलिया।

विषय: दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं द्वारा शासनादेशों में निर्धारित निर्देशों का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 78/2023/2631/26-3-2023-C.N.-1635592, दिनांक 29 सितम्बर, 2023, जिसके द्वारा सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2023 निर्गत की गई है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 76/2023/2634/26-3-2023-C.N.-1574316, दिनांक 27 सितम्बर, 2023, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2023 निर्गत की गई है, के क्रम में शिक्षण संस्थाओं के लिए निर्धारित प्रावधानों का समयबद्ध अनुपालन एवं निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है-

1. संस्था एवं संस्था में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता, स्वीकृत सीटों की संख्या, पाठ्यक्रमवार सक्षम स्तर से अनुमोदित शुल्क तथा अन्य आवश्यक विवरण छात्रवृत्ति पोर्टल के मास्टर डाटाबेस में निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सही-सही अंकित एवं अद्यतन किए जाएं।
2. संस्था द्वारा पोर्टल पर अंकित सूचना एवं अपलोड किए गए अभिलेखों की सत्यता का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख का होगा। गलत, अपूर्ण, भ्रामक अथवा असत्य सूचना अंकित किए जाने की स्थिति में संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
3. विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन-पत्रों तथा संलग्न अभिलेखों का मूल अभिलेखों से मिलान करने हेतु संस्था स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाएक
संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य - अध्यक्ष
संस्था के वरिष्ठतम प्राध्यापक - सदस्य
सम्बन्धित वर्ग का वरिष्ठतम प्राध्यापक - सदस्य
4. नियमानुसार सम्बन्धित वर्ग का प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में शासनादेश में दी गई वैकल्पिक व्यवस्था लागू होगी।
5. गठित समिति द्वारा विद्यार्थी का नाम, पाठ्यक्रम, प्रवेश, शैक्षिक योग्यता, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, बैंक विवरण, आधार प्रमाणीकरण, शुल्क, उपस्थिति एवं अन्य समस्त विवरणों का परीक्षण किया जाए।
6. पात्र एवं सही पाए गए आवेदन-पत्रों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाए। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण अथवा अपात्र आवेदन-पत्रों को स्पष्ट एवं उचित कारण अंकित करते हुए संस्था स्तर से निरस्त किया जाए। बिना परीक्षण किसी आवेदन को अग्रसारित न किया जाए।
7. संस्था द्वारा अग्रसारित विद्यार्थियों के विवरण की शुद्धता एवं पात्रता का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा। संस्था की त्रुटि के कारण अपात्र विद्यार्थी को भुगतान होने अथवा पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित होने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
8. प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति आधार आधारित बायोमेट्रिक अथवा फेशियल रिकग्निशन प्रणाली से दर्ज की जाए तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। निर्धारित उपस्थिति से कम होने पर विद्यार्थी योजना के लिए पात्र नहीं होगा।



9. नवीनीकरण श्रेणी के आवेदन अग्रसारित करने से पूर्व विद्यार्थी के विगत शैक्षिक वर्ष के परीक्षा परिणाम एवं न्यूनतम निर्धारित अंकधुत्तीर्णता की जांच अवश्य की जाए। नियमानुसार पर्याप्त एवं वैध कारण के अभाव में अपेक्षित प्रगति न करने वाले विद्यार्थी का नवीनीकरण आवेदन अग्रसारित न किया जाए।
 10. संस्था में प्रवेशित विद्यार्थियों का प्रवेश नियमानुसार, मान्य पाठ्यक्रम एवं स्वीकृत सीटों के सापेक्ष होना चाहिए। प्रबन्धकीय कोटाधुत्पूट प्रवेश अथवा अनधिकृत सीटों पर प्रवेशित विद्यार्थियों के सम्बन्ध में शासनादेश में निर्धारित प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाए।
 11. संस्था द्वारा आवेदन-पत्रों, संलग्न अभिलेखों, मास्टर डाटा, ऑनलाइन अग्रसारण विवरण, छात्रवृत्ति न मिलने के कारणों, अंक एवं सेमेस्टर विवरण तथा भुगतान के उपरान्त लाभान्वित विद्यार्थियों के विवरण की हस्ताक्षरित सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी सुरक्षित रखी जाए। शासनादेश के अनुसार सम्बन्धित अभिलेखों को 10 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना है।
 12. छात्रवृत्ति की धनराशि विद्यार्थियों के बैंक खाते में अन्तरित होने के उपरान्त संस्था द्वारा पोर्टल से लाभान्वित विद्यार्थियों का विवरण डाउनलोड कर अभिलेखों में संरक्षित किया जाए।
 13. संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेख, त्रुटि सुधार, आधार प्रमाणीकरण, बैंक खाते की स्थिति, समय-सारिणी एवं उपस्थिति सम्बन्धी नियमों की जानकारी नोटिस बोर्ड, वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों से उपलब्ध कराई जाए।
 14. संस्था द्वारा विद्यार्थियों से आवेदन सत्यापन अथवा अग्रसारण के नाम पर किसी प्रकार की अतिरिक्त धनराशि न ली जाए तथा छात्रवृत्ति से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्णतः पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से किया जाए।
- अतः निर्देशित किया जाता है कि दोनों शासनादेशों में शिक्षण संस्थाओं हेतु निर्धारित समस्त प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही, गलत सत्यापन, अपात्र आवेदन का अग्रसारण, पात्र आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित रखने अथवा गलत सूचना अपलोड करने की स्थिति में सम्बन्धित संस्था एवं संस्था प्रमुख का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


(रमेश कुमार)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बलिया

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बलिया।
3. कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बलिया